

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 233वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 233वीं बैठक दिनांक 07/04/2026 को अपरान्ह 04:00 बजे श्री पोलिसेट्टी वेंकट नरसिंगा राव, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य एवं सदस्य सचिव उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1 एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ (परिवेश 1.0) की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों/अन्य परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मीता बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.- श्रीमती मीता बाफना), ग्राम-कोटेला, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2630)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/440321/-2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोटेला, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 38, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-39,735 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall reappraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -**(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 38, कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर, क्षमता-39,735 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 26/12/2016 को जारी की गई।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित-जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2068/खनिज/ख.लि./उ.प./2002 कांकेर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	6,181
2019-20	2,655
2020-21	11,837
2021-22	15,642
2022-23	12,325

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेला का दिनांक 23/09/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 301/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 13/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 931/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 933/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र

अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। ग्रामीण मार्ग लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।

6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती मीता बाफना के नाम पर है। लीज डीड 30^५ वर्षों अर्थात् दिनांक 08/10/2002 से 07/10/2032 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1625 कांकेर, दिनांक 26/08/2002 से जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कोटेला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-कोटेला 1 कि.मी. एवं अस्पताल लखनपुरी 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.4 कि.मी. दूर है। महानदी 2.5 कि.मी. दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,63,013 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,29,708 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,014 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,173 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,357	षष्ठम	31,132
द्वितीय	34,357	सप्तम	31,132
तृतीय	34,357	अष्टम	31,132
चतुर्थ	31,132	नवम	31,132
पंचम	31,132	दशम	39,735

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,170 नग (जामुन, नीम, पीपल, कदम, शीशु, अमलतास) वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,170 नग पौधों के लिए राशि 81,900 रुपये, खाद के लिए राशि 11,700 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,76,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 6,25,600 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,61,440 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,014 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,907 वर्गमीटर क्षेत्र 12 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Kotela	
			Plantation	1.346
			Total	1.346

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि

4

- 29,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 16,485.4 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में मरम्मत किया जायेगा एवं अतिरिक्त यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।
 19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा एवं इसके संरक्षण हेतु सोकापिट का निर्माण किया गया है।
 20. खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
 25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
 26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कॉपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।
 27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2385/खलि-1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 15/12/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015-16	निरंक
2016-17	2,600
2017-18	2,383

समिति का मत है कि विगत वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 2024/763 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की आकाशीय दूरी 400 मीटर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वाइयरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 390/ख.लि.3/स्था/2024 धमतरी, दिनांक 12/07/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 10,45,896.8 टन, माईनेबल रिजर्व 3,58,090.85 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,40,186.30 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,725 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9.33 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
प्रथम	39,702
द्वितीय	39,702
तृतीय	39,702
चतुर्थ	39,702
पंचम	39,702

6. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित नहीं होने का उल्लेख है। जबकि के.एम.एल.

का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन एवं उसके बाहर उत्खनन-कार्य किया जाना पाया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किया गया किये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
7. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना पाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है, के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण एवं जानकारी मांगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।
8. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
9. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/05/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2026 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 750वीं बैठक दिनांक 17/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—उत्तर बस्तर, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 329/खलि-1/न.क्र./उ.प./2002 उ.ब. कांकेर, दिनांक 09/02/2026 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2023-24	12,400
2024-25	12,430
2025-26 (दिसम्बर 2025 तक)	9,400

- कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./5776 कांकेर, दिनांक 03/10/2025 से जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार माईन लीज क्षेत्र से निकटतम वनक्षेत्र ओ.ए. 1457 की दूरी 1 कि.मी., सीता नदी अभ्यारण्य 100 कि.मी. एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 91 कि.मी. की दूरी पर है।
- लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 5,123 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया गया है, जिसका क्षेत्र 2,770 वर्गमीटर है। क्रशर क्षेत्र में 1,385 घनमीटर ऊपरी मिट्टी है। 7.5 मीटर का सेफ्टी क्षेत्र 2,225 वर्गमीटर है एवं 7.5 मीटर का सेफ्टी क्षेत्र में 1,112.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी है, शेष 2,628.5 घनमीटर को ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के सीमा पट्टी के 2,225 वर्गमीटर में 1.2 मीटर की मोटाई में फैलाकर वृक्षारोपण किया गया है।
- 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है—

लम्बाई	आधार की चौड़ाई + सरफेस चौड़ाई/2 = औसत चौड़ाई	गहराई	मात्रा घन मीटर में	मात्रा घन मीटर/3 = परिवहन हेतु ट्रैक्टर की ट्रीप	300 X ट्रैक्टर ट्रीप की संख्या = कुल खर्च
207	$9.0 + 7.5/2 = 8.25$	3.0	5,123	1,707.6	5,12,280
कुल			5,123	1,707.6	रूपए - 5,12,280

लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के पुनःभराव हेतु कुल 5,123 घनमीटर मटेरियल की आवश्यकता होगी, जिसमें से 310 घनमीटर मटेरियल 0.5 मीटर के साइज का स्लोप को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यकता होगी।

- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को

- क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र क्रमांक 437/एस.ई.ए.सी.-3 छ.ग./कांकेर/2630 दिनांक 20/05/2025 के माध्यम से पत्र लिखा गया है।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किया गया किये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र क्रमांक 439/एस.ई.ए.सी.-3 छ.ग./कांकेर/2630 दिनांक 20/05/2025 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है।
 7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है, के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण एवं जानकारी मांगाये जाने हेतु पत्र क्रमांक 439/एस.ई.ए.सी.-3 छ.ग./कांकेर/2630 दिनांक 20/05/2025 के माध्यम से संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लिखा गया है तथा परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में पत्र क्रमांक-441A/एस.ई.ए.सी.-3 छ.ग./कांकेर/2630 दिनांक 20/05/2025 के माध्यम से सूचित किया गया है।
 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया है।
 9. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 1767, दिनांक 17/03/2021 द्वारा माईनिंग एवं क्रशिंग ऑफ स्टोन, स्टोन चिप्स (गिट्टी), क्षमता - 39,735 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 06/03/2026 तक है।
 10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी उत्खनन पाया गया है, जिसके संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी निर्णय लेगी, मुझे मान्य होगा।
 11. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
 12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 931/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अंशस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—कोटेला) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—कोटेला) को मिलाकर क्षेत्रफल 3.97 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने तथा खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व निष्पादित होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिस्ट्रीक सर्वे रिपोर्ट (DSR), 2025 की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र क्रमांक 2646/खनि. 02/पर्या.स.—II/न.क्र. 08/2016 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया है:—

“उल्लेखनीय होगा कि रि—अप्रेजल के अधिकतर प्रकरण में उत्खनिपट्टा तात्कालिन छ.ग. गौण खनिज नियम 1936 के तहत स्वीकृत किये गये है जिसमें उत्खनन योजना एवं खदान क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर की शेपटी जोन छोड़े जाने का प्रावधान नहीं था जिसके फलस्वरूप पट्टेदारों के द्वारा खदान क्षेत्र की सीमा तक खनन कार्य किया गया है। उक्त सभी खदानों का छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-38(क) के तहत मूल उत्खनिपट्टा अवधि से 30 वर्ष हेतु अवधि विस्तार किये गये है, जो कि वर्तमान में भी संचालित है।

गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधनों के उपरांत उत्खनिपट्टों हेतु उत्खनन योजना तैयार किया गया तथा उसके पश्चात् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 7.5 मीटर शेपटी जोन छोड़ने के प्रावधान किये गये हैं। अतः 2015 के पूर्व स्वीकृत खदानों में उक्त नियम के बंधनकारी नहीं होने के फलस्वरूप उक्त प्रकरणों में उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। गौण खनिज नियम, 2015 के तहत स्वीकृत — उत्खनिपट्टों में खदान क्षेत्र की सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर जिला अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पुराने उत्खनन के गड्ढे अथवा तालाब होने की स्थिति में समिति द्वारा इन्हे आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानकर प्रकरण परीक्षण हेतु लिजा कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। तत्संबंध में लेख है कि प्रायः गौण खनिज उत्खनन पट्टा पूर्व स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास ही स्वीकृत किया जाता है जिससे आवेदित क्षेत्र के आसपास पुराने स्वीकृत खदानों से निर्मित गड्ढे का होना स्वाभाविक है। पुराने उत्खनन से निर्मित गड्ढों को वर्तमान पट्टाधारी आवेदकों द्वारा किया गया अवैध उत्खनन माना जाना उचित नहीं है। लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों में विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। तथापि प्रत्येक 6 माह में खनि निरीक्षक द्वारा भी कर निर्धारण के समय मौका जांच पर पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-71 के तहत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिस पर खनिज विभाग द्वारा गंभीरता से लगातार कार्यवाही की जाती है।

उक्त कारणों से रि—अप्रेजल के प्रकरण विगत 02 वर्षों से अधिक समय से लंबित होने के कारण प्रदेश में अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक गौण खनिजों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है वही राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के लंबित रि—अप्रेजल प्रकरण/पर्यावरण सम्मति हेतु प्रस्तुत नवीन प्रकरणों में पर्यावरण के बिंदुओं पर कम्प्लायंस कराते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उचित निर्णय लिया जावे।”

उक्त खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 08/10/2002 से 07/10/2032 तक हेतु निष्पादित किया गया है। अतः उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व का है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेपटी उत्खनन पाया गया है, जिसके संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी निर्णय लेगी, मुझे मान्य होगा।

4. मेसर्स मीता बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.— श्रीमती मीता बाफना) को ग्राम—कोटेला, तहसील—चारामा, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर के खसरा क्रमांक 38 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—2 हेक्टेयर, क्षमता—39,702 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/04/2026 को संपन्न 233वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स मीता बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.— श्रीमती मीता बाफना) को ग्राम—कोटेला, तहसील—चारामा, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर के खसरा क्रमांक 38 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—2 हेक्टेयर, क्षमता—39,735 प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार शेष वृक्षारोपण 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- उत्खनित 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पुनःभरण का कार्य (Restoration work) पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- परियोजना प्रस्तावक को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में कुल 1,170 नग वृक्षारोपण का कार्य 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाना होगा।
- उपरोक्तानुसार पुनःभरण का कार्य एवं वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

2. मेसर्स यश बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.—श्री यश बाफना), ग्राम—खैरखेड़ा, तहसील—चारामा, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2631)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 440331/2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—खैरखेड़ा, तहसील—चारामा, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 362, कुल क्षेत्रफल—2.10 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—41,729 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall reappraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 362, कुल क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर, क्षमता-41,729 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 26/12/2016 को जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2070/खनिज/ख.लि./उ.प./1997 कांकेर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	2,981
2019-20	1,080
2020-21	6,507
2021-22	16,508
2022-23	15,697

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, के ज्ञापन क्रमांक 300/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 13/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 935/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 937/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 130 मीटर की दूरी पर तथा डबरी लगभग 70 मीटर की दूरी पर है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री यश बाफना के नाम पर है, लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/04/1997 से 13/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/03/2022 से 31/03/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./स्टेनो/सामा./985 कांकेर, दिनांक 31/03/1997 से जारी पत्र अनुसार "लीज क्षेत्र से लगे हुये क्षेत्र में पूर्व में लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व उद्यानिकी विभाग द्वारा काजू रोपण कराया गया था। अतः काजू रोपण से संबंधित पूर्ण विवरण, संबंधित विभाग से प्राप्त करना उचित होगा एवं इस संयंत्र से उड़ रही धूल से समीपस्थ कृषि भूमि एवं आस-पास निवास कर रहे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में संबंधित राजस्व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर एवं जिला स्तर पर गठित पर्यावरण दल से विचार विमर्श किया जाकर 5 वर्ष हेतु नवीनीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाना उचित होगा" का उल्लेख है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-झीपाटोला 2 कि.मी., स्कूल ग्राम-लखनपुरी 5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-लखनपुरी 5 कि.मी. की दूरी

पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 161 मीटर दूर है। महानदी 4.3 कि.मी. दूर स्थित है।

10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,66,332 टन, माईनेबल रिजर्व -4,86,080 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,497 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 836 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,997	षष्ठम	41,729
द्वितीय	33,997	सप्तम	41,729
तृतीय	33,997	अष्टम	41,729
चतुर्थ	30,411	नवम	41,729
पंचम	41,729	दशम	41,729

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,050 नग (अर्जुन, जामुन, नीम, पीपल, कदम, शीशु, अमलतास) वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,050 नग पौधों के लिए राशि 73,500 रुपये, खाद के लिए राशि 10,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,40,250 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,80,250 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,57,600 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,497 वर्गमीटर है, जिसमें से 2434 वर्गमीटर क्षेत्र 25 मीटर की गहराई तक एवं 2,063 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.5	2%	0.85	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-khairkheda	
			Plantation	1.346
			Total	1.346

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक को सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 16,485.4 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में मरम्मत किया जायेगा एवं अतिरिक्त यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा एवं इसके संरक्षण हेतु सोकपिट का निर्माण किया गया है।
19. खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कॉपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2386/खलि-1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 15/12/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015-16	22,400
2016-17	3,000
2017-18	1,500

समिति का मत है कि विगत वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 2024/762 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की आकाशीय दूरी 500 मीटर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वाइयरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 391/ख.लि.3/स्था/2024 धमतरी, दिनांक 12/07/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 11,55,690 टन, माईनेबल रिजर्व 4,61,082.39 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,38,028.27 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,727 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11.33 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 836 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
प्रथम	41,691
द्वितीय	41,691
तृतीय	41,691
चतुर्थ	41,691
पंचम	39,608.4

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खैरक्षेड़ा द्वारा दिनांक 27/01/1997 को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को प्रेषित अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पत्थर उत्खनन 10 वर्ष तक के लिए ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
7. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन एवं लीज क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है, इस संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण, दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी एवं लीज क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन किया गया है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरिक्षण प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/05/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2026 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 750वीं बैठक दिनांक 17/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 327/खलि-1/न.क्र./उ.प./2002 कांकेर, दिनांक 09/02/2026 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2023-24	12,100
2024-25	13,900
2025-26 (दिसम्बर 2025 तक)	3,900

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./5782 कांकेर, दिनांक 21/10/2025 से जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार माईन लीज क्षेत्र से निकटतम वनक्षेत्र ओ.ए. 1457 से 1 कि.मी., सीता नदी अभ्यारण्य 106.70 कि.मी. एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 218 कि.मी. की दूरी पर है।
3. ग्राम पंचायत खैरखेड़ा का 26/01/1997 का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 7,587.5 घनमीटर है। 7.5 मीटर का सेपटी जोन का क्षेत्रफल 4,727 वर्गमीटर है एवं 7.5 मीटर का सेपटी क्षेत्र में 2,363.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी है। शेष 5,224 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर सेपटी क्षेत्र 2,225 वर्गमीटर 1.10 मीटर की मोटाई में फैलाकर वृक्षारोपण किया गया है। अतः ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया है।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 1003, दिनांक 09/09/2025 द्वारा माईनिंग एवं क्रशिंग ऑफ स्टोन, क्षमता - 41,729 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31/03/2027 तक है।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेफटी एवं लीज क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन किया गया है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को एवं पत्र क्रमांक 555/एस.ई.ए.सी.-3 छ.ग./कांकेर/2631 दिनांक 22/05/2025 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरीक्षण प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। -
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेफटी उत्खनन पाया गया है, जिसके संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी निर्णय लेगी, मुझे मान्य होगा। -
9. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
10. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 935/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-खैरखेड़ा) का क्षेत्रफल 2.10 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-खैरखेड़ा) को मिलाकर क्षेत्रफल 4.10 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने तथा खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व निष्पादित होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिस्ट्रीक सर्वे रिपोर्ट (DSR), 2025 की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र क्रमांक 2646/खनि. 02/पर्या.स.-II/न.क्र. 08/2016 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया है:-

“उल्लेखनीय होगा कि रि-अप्रेजल के अधिकतर प्रकरण में उत्खनिपट्टा तात्कालिन छ.ग. गौण खनिज नियम 1936 के तहत स्वीकृत किये गये है जिसमें उत्खनन योजना एवं खदान क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर की सेप्टी जोन छोड़े जाने का प्रावधान नहीं था जिसके फलस्वरूप पट्टेदारों के द्वारा खदान क्षेत्र की सीमा तक खनन कार्य किया गया है। उक्त सभी खदानों का छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-38(क) के तहत मूल उत्खनिपट्टा अवधि से 30 वर्ष हेतु अवधि विस्तार किये गये है, जो कि वर्तमान में भी संचालित है।

गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधनों के उपरांत उत्खनिपट्टों हेतु उत्खनन योजना तैयार किया गया तथा उसके पश्चात् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 7.5 मीटर सेप्टी जोन छोड़ने के प्रावधान किये गये हैं। अतः 2015 के पूर्व स्वीकृत खदानों में उक्त नियम के बंधनकारी नहीं होने के फलस्वरूप उक्त प्रकरणों में उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। गौण खनिज नियम, 2015 के तहत स्वीकृत - उत्खनिपट्टों में खदान क्षेत्र की सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर जिला अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पुराने उत्खनन के गड्ढे अथवा तालाब होने की स्थिति में समिति द्वारा इन्हे आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानकर प्रकरण परीक्षण हेतु लिजा कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। तत्संबंध में लेख है कि प्रायः गौण खनिज उत्खनन पट्टा पूर्व स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास ही स्वीकृत किया जाता है जिससे आवेदित क्षेत्र के आसपास पुराने स्वीकृत खदानों से निर्मित गड्ढे का होना स्वाभाविक है। पुराने उत्खनन से निर्मित गड्ढों को वर्तमान पट्टाधारी आवेदकों द्वारा किया गया अवैध उत्खनन माना जाना उचित नहीं है। लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों में विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। तथापि प्रत्येक 6 माह में खनि निरीक्षक द्वारा भी कर निर्धारण के समय मौका जांच पर पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-71 के तहत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिस पर खनिज विभाग द्वारा गंभीरता से लगातार कार्यवाही की जाती है।

उक्त कारणों से रि-अप्रेजल के प्रकरण विगत 02 वर्षों से अधिक समय से लंबित होने के कारण प्रदेश में अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक गौण खनिजों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है वही राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के लंबित रि-अप्रेजल प्रकरण/पर्यावरण-सम्मति हेतु प्रस्तुत नवीन प्रकरणों में पर्यावरण के बिंदुओं पर कम्प्लायंस कराते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उचित निर्णय लिया जावे।”

उक्त खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 01/04/1997 से 31/03/2027 तक हेतु निष्पादित किया गया है। अतः उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व का है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी उत्खनन पाया गया है, जिसके संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी निर्णय लेगी, मुझे मान्य होगा।

4. मेसर्स यश बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.-श्री यश बाफना) को ग्राम-खैरखेड़ा, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के खसरा क्रमांक 362 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर, क्षमता - 41,691 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/04/2026 को संपन्न 233वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स यश बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.-श्री यश बाफना) को ग्राम-खैरखेड़ा, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के खसरा क्रमांक 362 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर, क्षमता-41,729 प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार शेष वृक्षारोपण 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- उत्खनित 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पुनःभरण का कार्य (Restoration work) पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- परियोजना प्रस्तावक को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में कुल 1,050 नग वृक्षारोपण का कार्य 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाना होगा।
- उपरोक्तानुसार पुनःभरण का कार्य एवं वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

- मेसर्स घोटियावाही आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री यशवंत सिन्हा), ग्राम-घोटियावाही, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2430)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429597/ 2023, दिनांक 17/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-घोटियावाही, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 734, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,005 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12/12/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC. is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के पालनार्थ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके

पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 734, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता- 1,00,005 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 07/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति उत्खनिपट्टा अवधि तक (विस्तारित अवधि तक) की अवधि हेतु जारी की गई। तत्पश्चात् जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 22/05/2018 को उत्खनन क्षमता-45,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,00,005 टन प्रतिवर्ष करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं की गई है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	34,587.60
2019-20	25,387.20
2020-21	35,948.80
2021-22	45,592.00
2022-23	28,864.00

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन पृ. क्र. 433/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2023 के द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्तियों को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती इस कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर-बस्तर-कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोटियावाही का दिनांक 10/03/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 980/खनिज/2017-18 दंतेवाड़ा, दिनांक 16/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 955/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 957/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री यशवंत सिन्हा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2011 से 16/02/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2021 से 16/02/2041 तक के लिए विस्तारित की गई।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./भू-प्रबंध/2010/3092 कांकेर, दिनांक 13/05/2010 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक

आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम—घोटियावाही 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम—घोटियावाही 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल —घोटियावाही 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। महानदी 4 कि.मी. एवं दूधवा बांध 320 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व 17,22,720 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,80,223 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,36,211 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,774 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,690 घनमीटर थी। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3-मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	99,735	षष्ठम	99,990
द्वितीय	99,735	सप्तम	1,00,005
तृतीय	98,880	अष्टम	99,990
चतुर्थ	98,880	नवम	80,715
पंचम	1,00,005		

13. ओव्हर बर्डन की मात्रा 44,011.15 टन है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति उपरांत ही विक्रय किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 56,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,40,700 रुपये, खाद के लिए राशि 8,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 61,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,85,700 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 6,49,600 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at, Government Primary School at, Village-Ghotiyawahi	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

18. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
19. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
20. खदान में सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग के किनारे यथासंभव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर-बस्तर-कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/09/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत प्राप्त किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./भू-प्रबंध/2010/3092 कांकेर, दिनांक 13/05/2010 द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्न तथ्य का उल्लेख है:-

- "आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित तथा सीमांकित वन के अंतर्गत स्थित नहीं है।
- आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- आवेदित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 30 नग वृक्ष है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में बहुमूल्य प्रजाति के अधिक वृक्ष स्थित है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्णय 12.12.96 का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो इसका विशेष देते हुये पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें।"

उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. खदान से जनित ओवर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्यावरण उल्लंघन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition-(S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/04/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2024 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के आधार पर समिति

द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही यह अनुशंसा भविष्य में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 में रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है" का उल्लेख है।

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी (Air Distance) दूरी 390 मीटर है।" का उल्लेख है।

अतः उपरोक्त प्रमाण पत्रों के भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,774 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 8.5 मीटर क्षेत्र उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पाया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. समिति द्वारा के.एम.एल. अवलोकन करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र सीमा के बाहर उत्खनन कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितना मात्रा उत्खनन (टन में) किया गया है, इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण एवं लीज सीमा से-अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर को पत्र लेख किया जाए।
2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुधावा डेम से माईन लीज की बाउण्ड्री की दूरी के संबंध में जल संसाधन विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान संचालन से बांध के संरक्षण से संबंध में जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. समिति द्वारा के.एम.एल. अवलोकन करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र सीमा के बाहर उत्खनन कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए। साथ ही यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितना मात्रा उत्खनन (टन में) किया गया है, इस संबंध में भी जानकारी मंगाये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति

पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

(इ) समिति की 674वीं बैठक दिनांक 08/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

- कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें "01. खदान क्षेत्र रकबा 02.00 हैं. से वनक्षेत्र की दूरी 390 मीटर है। 02. वर्तमान में लीज क्षेत्र रकबा 02.00 हैं. का पुनः जी.पी.एस. ट्रेक कर के.एम.एल. तैयार कर जाँच कराया गया। जिसका Uniltitled Map में भी स्थिति स्पष्ट है कि खदान क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी 390 मी. राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 250.62 कि.मी. एवं सीतानदी अभ्यारण जैव विविधता की दूरी 17.00 कि.मी. है, जो सही है। जिसका मैप संलग्न है।" का उल्लेख है।
- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार राशि रुपये 1,23,675/- खर्च किया जाना प्रस्तावित है।
- लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया गया है।
- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर द्वारा दिनांक 07/01/2025 को साधारण पत्थर, क्षमता-1,00,005 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है।
- कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 2172/कार्य/2025 रुद्री, दिनांक 03/06/2025 के प्रतिवेदन अनुसार "उक्त माईनिंग लीज के बाउण्ड्री की दूरी दुधावा जलाशय से 5 कि.मी. और केचमेंट एरिया से 300 मी. की दूरी पर स्थित है। खदान संचालन से संरक्षण के दृष्टिगत बांध को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। अतः खदान संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की जाती है।" का उल्लेख है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1512/खलि/न.क्र./उ.प./2025 कांकेर, दिनांक 08/07/2025 में "क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर उत्खनन योजना अनुसार अक्षांश-देशांतर का मिलान करते हुए पट्टा अंतर्गत उत्खनन क्षेत्रों की जांच की गई। जांच में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज उत्खनन होना नहीं पाया गया है। अपितु उत्खनित खनिज की निकासी हेतु ओवर बर्डन से रैम्प निर्मित किया गया है, प्रश्नाधीन उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व से स्वीकृत होकर संचालित है। 2015 के पूर्व गौण खनिज खदानों में उत्खनन योजना तथा उनसे संबंधित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के प्रावधान लागू नहीं होने से उपरी मिट्टी को हटाकर मेढ़ बनाया गया है।" का उल्लेख है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized affidavit) किया गया है कि प्रतिबंधित लीज क्षेत्र 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी का कोई भाग

उत्खनन हुआ या नहीं के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच में जो भी कार्यावाही किया जाएगा, वह स्वीकर होगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized affidavit) किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों का मेरे द्वारा पूर्ण पालन किया जा रहा है।
9. एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 549, दिनांक 22/05/2025 को प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया था। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।
10. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान को जारी 500 मीटर प्रमाण पत्र (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के अनापत्ति प्रमाण पत्र में वन क्षेत्र से 390 मीटर की दूरी पर होना बताया गया है। लीज एरिया से समीपस्थ वनक्षेत्र की मान्य दूरी का निर्धारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 500 मीटर की अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। अतः कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को पत्र लेख करते हुये परियोजना प्रस्तावक को प्रतिलिपि दी जाए।

एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ की 674वीं बैठक दिनांक 08/08/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/11/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ई) समिति की 751वीं बैठक दिनांक 19/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 1236, दिनांक 31/10/2025 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें "जांच में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज उत्खनन होना नहीं पाया गया है। अपितु उत्खनित खनिज की निकासी हेतु ओव्हर बर्डन किया जाकर रैम्प निर्मित किया गया है, प्रश्नाधीन उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व से स्वीकृत होकर संचालित है। 2015 के पूर्व गौण खनिज खदानों में उत्खनन योजना तथा उनसे संबंधित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के प्रावधान लागू नहीं होने से उपरी मिट्टी को हटाकर मेढ़ बनाया गया है" उल्लेख है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2300/खलि-1/उ.पं./न.क्र./2011 कांकेर, दिनांक 17/10/2025 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
3. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र क्रमांक 2646/खनि. 02/पर्या.स.-II/न.क्र. 08/2016 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया है:-

“उल्लेखनीय होगा कि रि-अप्रेजल के अधिकतर प्रकरण में उत्खनिपट्टा तात्कालिन छ.ग. गौण खनिज नियम 1936 के तहत स्वीकृत किये गये हैं जिसमें उत्खनन योजना एवं खदान क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर की सेप्टी जोन छोड़े जाने का प्रावधान नहीं था जिसके फलस्वरूप पट्टेदारों के द्वारा खदान क्षेत्र की सीमा तक खनन कार्य किया गया है। उक्त सभी खदानों का छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-38(क) के तहत मूल उत्खनिपट्टा अवधि से 30 वर्ष हेतु अवधि विस्तार किये गये हैं, जो कि वर्तमान में भी संचालित है।

गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधनों के उपरांत उत्खनिपट्टों हेतु उत्खनन योजना तैयार किया गया तथा उसके पश्चात् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 7.5 मीटर सेप्टी जोन छोड़ने के प्रावधान किये गये हैं। अतः 2015 के पूर्व स्वीकृत खदानों में उक्त नियम के बंधनकारी नहीं होने के फलस्वरूप उक्त प्रकरणों में उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। गौण खनिज नियम, 2015 के तहत स्वीकृत - उत्खनिपट्टों में खदान क्षेत्र की सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर जिला अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पुराने उत्खनन के गड्ढे अथवा तालाब होने की स्थिति में समिति द्वारा इन्हे आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानकर प्रकरण परीक्षण हेतु लिजा कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। तत्संबंध में लेख है कि प्रायः गौण खनिज उत्खनन पट्टा पूर्व, स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास ही स्वीकृत किया जाता है जिससे आवेदित क्षेत्र के आसपास पुराने स्वीकृत खदानों से निर्मित गड्ढे का होना स्वाभाविक है। पुराने उत्खनन से निर्मित गड्ढों को वर्तमान पट्टाधारी आवेदकों द्वारा किया गया अवैध उत्खनन माना जाना उचित नहीं है। लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों में विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। तथापि प्रत्येक 6 माह में खनि निरीक्षक द्वारा भी कर निर्धारण के समय मौका जांच पर पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-71 के तहत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिस पर खनिज विभाग द्वारा गंभीरता से लगातार कार्यवाही की जाती है।

उक्त कारणों से रि-अप्रेजल के प्रकरण विगत 02 वर्षों से अधिक समय से लंबित होने के कारण प्रदेश में अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक गौण खनिजों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है वही राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के लंबित रि-अप्रेजल प्रकरण/पर्यावरण सम्मति हेतु प्रस्तुत नवीन प्रकरणों में पर्यावरण के बिंदुओं पर कमलायंस कराते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उचित निर्णय लिया जावे।”

उक्त खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 17/02/2011 से 16/02/2041 तक हेतु निष्पादित किया गया है। अतः उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व का है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 390 मीटर की दूरी पर है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08/08/2024 को पारित आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिये गये है:-

“Though in the present case, it is a ‘Reserve Forest’ but in our view, the need of having a buffer area for reserve forest similar to that it was found necessary in respect of national parks and wildlife sanctuaries is equally relevant, important and necessary and therefore, the mere fact that the boundary of the mining lease area is outside the notified boundary of reserved forest is not sufficient reason to allow mining activities. Such activities must be disallowed within buffer area which until provided otherwise by Competent Authority by issuing appropriate notification, we find shall be followed as 1 km from the actual boundary of the notified ‘Reserve Forest’/‘Protected Forest’, as the case may be.”

उपरोक्त के परिपालन में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के 18 माह पश्चात् भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में कतिपय प्रकरण में आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा की दूरी 300 मीटर पाई गई। तदनुक्रम में प्राधिकरण द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:-

"2. माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। "

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के री-अप्राईजल के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 3799-3800/2019 में पारित आदेश के परिपालन में जारी अंतरिम आदेश की वैधता, डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किये जाने रहते के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश तक रहेगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा री-अप्राईजल हेतु पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/04/2026 को संपन्न 233वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स बालपेट (डी-2) सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालपेट), ग्राम-बालपेट, तहसील व जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2681)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 445961 एवं 30/09/2023	

खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3 हेक्टेयर एवं 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-599 एवं डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सतीश कुमार अटामी, सचिव उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बालपेट दिनांक 20/09/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 14/07/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 03/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 03/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालपेट दिनांक - 10/04/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	जारी एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत आवेदित भूमि में गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूति हेतु यह आशय पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05/10/2023	प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर कोई अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/टाईगर रिजर्व स्थित नहीं है
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम-बालपेट 300 मीटर स्कूल ग्राम-बालपेट 200 मीटर अस्पताल-द.ब. दंतेवाड़ा 5.1 कि.मी.	पुल-1.01 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 131 मीटर, न्यूनतम 116 मीटर खनन स्थल की औसत लंबाई-460 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी - अधिकतम 57 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर	नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ी गई है।
खदान स्थल पर	स्थल पर रेत की गहराई - 2 मीटर	रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर

रेत की मोटाई -	रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-30,000 घनमीटर	वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस -	ग्रिड बिन्दु - 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 29/05/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण - 230 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 4,75,932 रुपये
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7.92	2%	0.16	Following activities at Nearby, Village-Balpet	
			Plantation in muktidham	4.00
			Total	4.00

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (पीपल, आम, जामुन, अर्जुन, कदंब, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 532 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 26,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 48,600 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,10,140 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,368 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 4.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर सी.ई.आर. कार्य हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर सी.ई.आर. कार्य हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में संघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग

गाईडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/04/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत बालपेट, के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 4.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) की जानकारी पुनः प्रस्तुत की गई है। सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर यथायोग्य स्थान पर सी.ई.आर. कार्य का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 598, क्षेत्रफल 6.9 हेक्टेयर में से 1.50 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फयुजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

८

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सैंड माईनिंग गाईडलाईन्स 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
13. आवेदित खदान नवीन खदान है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/01/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से टिप्पनियाँ (Comments) मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर यथायोग्य स्थान पर सी.ई.आर. कार्य का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/01/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परियोजना की स्थल उपयुक्तता, फिसिबिलिटी, प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के संबंध में टिप्पनियाँ (Comments) मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी.—3, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/05/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 751वीं बैठक दिनांक 19/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investme nt (in	Percenta ge of Capital	Amount Require d for	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)
-------------------------	------------------------	----------------------	---

Lakh Rupees)	Investment to be Spent	CER Activities (in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7.92	2%	0.16	Following activities at Nearby, Village- Balpet	
			Plantation in muktidham	4.00
			Total	4.00

सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, अर्जुन, बरगद, तेन्दू एवं महुआ आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 1,540 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 26,000 रुपये, खाद के लिए राशि 600 रुपये एवं सिंचाई के लिए राशि 48,000 रुपये, रख-रखाव तथा अन्य खर्च के लिए राशि 34,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,10,140 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,368 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर में स्थित मुक्तिधाम) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

नदी तट के किनारे वृक्षारोपण (पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, अर्जुन, बरगद, तेन्दू एवं महुआ आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 46,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 7,500 रुपये एवं सिंचाई के लिए राशि 48,000 रुपये, रख-रखाव तथा अन्य खर्च के लिए राशि 34,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,65,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,36,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 598, क्षेत्रफल-1.50 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/01/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परियोजना की स्थल उपयुक्तता, फिसिबिलिटी, प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के संबंध में टिप्पणियाँ (Comments) पत्र क्रमांक 1672/क्षे.कार्या./तक./छ.ग.प.सं.मं./2025 जगदलपुर दिनांक 16/12/2025 के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 23/12/2025 को प्राप्त हुआ है:- क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का अभिमत - खदान प्रबंधन को ग्राम-बालपेट, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक-559, क्षेत्रफल-3.0 हेक्टेयर में रेत खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रकरण पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
- लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में वन विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

ह। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08/08/2024 को पारित आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:-

"Though in the present case, it is a 'Reserve Forest' but in our view, the need of having a buffer area for reserve forest similar to that it was found necessary in respect of national parks and wildlife sanctuaries is equally relevant, important and necessary and therefore, the mere fact that the boundary of the mining lease area is outside the notified boundary of reserved forest is not sufficient reason to allow mining activities. Such activities must be disallowed within buffer area which until provided otherwise by Competent Authority by issuing appropriate notification, we find shall be followed as 1 km from the actual boundary of the notified 'Reserve Forest'/'Protected Forest', as the case may be."

उपरोक्त के परिपालन में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के 18 माह पश्चात् भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में कतिपय प्रकरण में आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा की दूरी 300 मीटर पाई गई। तदानुक्रम में प्राधिकरण द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:-

"2. माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। "

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के री-अप्राइजल के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 3799-3800/2019 में पारित आदेश के परिपालन में जारी अंतरिम आदेश की वैधता, डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किये जाने रहते के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश तक रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में वन विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा री-अप्राइजल हेतु पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/04/2026 को संपन्न 233वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श

उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स गड्डीपलना ग्रेनाईट माईन (प्रो.- श्री विमल लुनिया), ग्राम-गड्डीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोड़ागांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2525) -

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर -
एसआईए/सीजी/एमआईएन/433333/2023, दिनांक 20/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गड्डीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोड़ागांव स्थित खसरा क्रमांक 2/53, कुल क्षेत्रफल-1.416 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकुमार नाग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में ग्रेनाईट खदान खसरा क्रमांक 2/53 कुल क्षेत्रफल-3.50 एकड़, क्षमता-1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोण्डागांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2017 को जारी की गई।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 112/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2018 से 31/03/2019	767.316
01/04/2019 से 31/03/2020	944.567
01/04/2020 से 31/03/2021	541.909
01/04/2021 से 31/03/2022	805.564
01/04/2022 से 31/03/2023	1,079.939
01/04/2023 से 31/07/2023	323.843

समिति का मत है कि दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- समिति द्वारा पाया गया कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गड्डीपलना का दिनांक 17/09/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - स्विम ऑफ माईनिंग अलॉग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1590/एमसीसी/एमपी-04/2014, अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 113/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/04/1988 से 22/04/1993 तक की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। समिति का मत है कि वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का लीज का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कोण्डागांव सामान्य वन मण्डल जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./359 कोण्डागांव दिनांक 23/01/1998 द्वारा जारी पत्र अनुसार यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी, स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-फरसगांव 1.73 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। बरकी नाला 2.23 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 1,50,925 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 61,700 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,644 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
------	----------------------------

प्रथम	1,764
द्वितीय	1,764
तृतीय	1,764
चतुर्थ	1,764
पंचम	1,764

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। 2 घनमीटर प्रतिदिन भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि शेष आवश्यक जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 729 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 55,404 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,63,400 रुपये, खाद के लिए राशि 5,460 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,16,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,40,264 रुपये एवं रख-रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 8,88,352 रुपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Nearby, Village- Gattipalna	
			Plantation in Muktidham	12.70
			Total	12.70

सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज, आवला, अमलतास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 143,300 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गट्टीपलना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 0.250 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र से निकततम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र से-निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
9. जल की आपूर्ति (शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन) स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
10. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/04/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज), हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक गौण खनिज खदान है, त्रुटिवश मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 08/01/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 में किये गये उत्खनन की मात्रा 345.562 घनमीटर है।
5. लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 अवधि तक की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 21/मा.चि./अना. 2023-24 केशकाल, दिनांक 02/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।
7. कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, फरसगांव उप वनमण्डल, वनमण्डल केशकाल, जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 992 फरसगांव, दिनांक 15/12/2023 से

जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज क्षेत्र से निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

8. ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह पूर्व से संचालित ग्रेनाइट खदान है। अतः पूर्व से ही ऊपरी मिट्टी उत्खनित की जा चुकी है, जिसका उपयोग लीज क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण में किया गया है। ओव्हर बर्डन का उपयोग सड़कों के रख-रखाव हेतु किया जाता है।
9. शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
10. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य - (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक -113/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-गड्डीपलना) का क्षेत्रफल 0.303 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- मेसर्स गड्डीपलना ग्रेनाईट माईन (प्रो.- श्री विमल लुनिया) को ग्राम-गड्डीपलना, तहसील-फरसगांव, जिला-कोण्डागांव के खसरा क्रमांक 2/53 में स्थित ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.416 हेक्टेयर, क्षमता - 1,764 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2024 को संपन्न 181वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि समिति द्वारा ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है, जबकि समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 3 में पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक गौण खनिज खदान है, त्रुटिवश मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है। का उल्लेख किया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आवेदित प्रकरण मुख्य खनिज या गौण खनिज का है? साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदित प्रकरण को मुख्य खनिज अथवा गौण खनिज, कौन से खनिज अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1232, दिनांक 20/11/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 08/10/2025:

समिति द्वारा नस्ती; प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/10/2025 को निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:-

1. THE MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957 ACT NO. 67 OF 1957 की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसके चैप्टर 1 के बिन्दु क्रमांक 3(e) के अनुसार ग्रेनाईट खदान गौण खनिज में आता है।
2. आई.बी.एम., भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी Indian Minerals Year book 2017 (Part – III : Mineral Reviews) 56th Edition में 30 खनिजों को गौण खनिज श्रेणी में रखा गया है, जिसमें ग्रेनाईट भी शामिल है। साथ ही आई.बी.एम., भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी Indian Minerals Year book 2022 (Part – III : Mineral Reviews) 61st Edition Minor Minerals में भी ग्रेनाईट खदान को गौण खनिज श्रेणी में रखा गया है।
3. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में भी ग्रेनाईट खदान शामिल है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन में त्रुटिवश गौण खनिज के स्थान मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक शपथ पत्र (Notarized affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
5. समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन कर पाया कि आवेदित खदान (ग्रेनाईट) गौण खनिज खदान है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 में की गई अनुशंसा के आधार पर लीज एरिया से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी 300 मीटर के संबंध में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश के आलोक में अंतिम निर्णय लिये जाने एवं जिले में लागू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) वैध होने की शर्त पर ग्रेनाईट (गौण खनिज) की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया है:-

1. समिति द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश के आलोक में अंतिम निर्णय लिये जाने एवं जिले में लागू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) वैध होने की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। वैध डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) के आधार पर अनुशंसा किया जाना आवश्यक है के संबंध में परियोजना प्रस्तावक एवं खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 21/मा.चि./अना. 2023-24 केशकाल, दिनांक 02/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है। माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2026 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/02/2026 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 756वीं बैठक दिनांक 26/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR)-कोण्डागांव 2025 प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है जिसमें "एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी अंतिम निर्णय माननीय एन.जी.टी. के आदेश के निकटतम वन क्षेत्र से खदान की दूरी के लिए लिया जाएगा वह मुझे मान्य होगा।

यह कि पूर्व से संचालित खदान है। जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति डी.ई.आई.ए.ए. कोण्डागांव छत्तीसगढ़ द्वारा सारी जानकारी को ध्यान में रखकर किया गया अतः एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय के आने तक मुझे खदान संचालित करने के लिए कंडिशनल पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।" का उल्लेख है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला-कोण्डागांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08/08/2024 को पारित आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिये गये है:-

"Though in the present case, it is a 'Reserve Forest' but in our view, the need of having a buffer area for reserve forest similar to that it was found necessary in respect of national parks and wildlife sanctuaries is equally relevant, important and necessary and therefore, the mere fact that the boundary of the mining lease area is outside the notified boundary of reserved forest is not sufficient reason to allow mining activities. Such activities must be disallowed within buffer area which until provided otherwise by Competent Authority by issuing appropriate notification, we find shall be followed as 1 km from the actual boundary of the notified 'Reserve Forest'/'Protected Forest', as the case may be."

उपरोक्त के परिपालन में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के 18 माह पश्चात् भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के सी-अप्राईजल के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 3799-3800/2019 में पारित आदेश के परिपालन में जारी अंतरिम आदेश की वैधता, डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किये जाने रहते के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश तक रहेगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा री-अप्राईजल हेतु पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/04/2026 को संपन्न 233वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स गुरुदेव स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मुकेश जैन), ग्राम-पारागांव, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2818)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 453682 एवं 29/11/2023	
खदान का प्रकार	फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.96 हेक्टेयर एवं 9,030 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	1859(पार्ट)	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मुकेश जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
भू-स्वामित्व	निजी भूमि भूमि मेसर्स गुरुदेव स्टोन, प्रो.- श्री मुकेश जैन के नाम पर है।	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में ई.सी. धारक - मेसर्स आनंद स्टोन इंडस्ट्रीज, प्रोपराईटर - श्रीमती सपना सिंघानिया खदान का प्रकार - फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 1859 क्षेत्रफल - 0.96 हेक्टेयर क्षमता - 9,030 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 03/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07/05/2042 तक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का नाम हस्तांतरण नहीं हुआ है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 17/01/2023 वर्ष 2017-18 में 341.5 घनमीटर वर्ष 2018-19 में 488.5 घनमीटर वर्ष 2019-20 में 485.75 घनमीटर वर्ष 2020-21 में 618 घनमीटर वर्ष 2021-22 में 271 घनमीटर	संलग्न है।
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत पारागांव	संलग्न है।

एन.ओ.सी.	दिनांक 12/11/2011	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 12/10/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 17/01/2023	01 खदान, क्षेत्रफल 1.92 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 17/01/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर के भीतर महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक - मेसर्स गुरुदेव स्टोन, प्रोपराईटर - श्री मुकेश जैन अवधि-08/05/2012 से 07/05/2042	पूर्व में लीज धारक - मेसर्स आनंद स्टोन, प्रोपराईटर - श्रीमती सपना सिंघानिया लीज हस्तांतरण - दिनांक 31/01/2020
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल रायपुर द्वारा जारी दिनांक 21/02/2024	वनक्षेत्र से दूरी - 17.61 कि.मी।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - पारागांव 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम - पारागांव 500 मीटर अस्पताल - आरंग 6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 130 मीटर	महानदी - 120 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट मेनुअल माईनिंग प्लान अनुसार रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 55,860 घनमीटर (1,39,650 टन) माईनेबल 26,397 घनमीटर (65,992 टन) रिकवरेबल 19,798 घनमीटर (49,495 टन) प्रस्तावित गहराई 10 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 7 वर्ष से अधिक प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 9,030 टन द्वितीय 9,030 टन तृतीय 9,030 टन चतुर्थ 9,030 टन पंचम 9,030 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 2,801 वर्गमीटर	उत्खनित - हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख - हाँ रेस्टोरेशन प्लान - हाँ

गैर माईनिंग	क्षेत्रफल - 1,377 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - ऑफिस बिल्डिंग	माईनिंग प्लान में, उल्लेख- हॉ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्धन प्रबंधन योजना	मोटाई - 4 मीटर मात्रा - 12,828 घनमीटर	2,800 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। 4,084 घनमीटर - पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव करने हेतु उपयोग। शेष 5,944 घनमीटर - लीज क्षेत्र में अस्थायी रूप से भण्डारित कर रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा - 5 घनमीटर स्रोत - टैंकरों के माध्यम से	ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण - 300 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 9,68,600 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, लीज के 7.5 मीटर में भविष्य में भी कोई उत्खनन नहीं किये जाने बाबत, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3.
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.88 हेक्टेयर है।

- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.27	2%	0.72	Following activities at Nearby, Village- Paragaon	
			Pavitra van nirman	6.41
			Total	6.41

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (पीपल, नीम, कदंब, जामुन, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,08,000 रुपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 20,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,99,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,42,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पारागांव, के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 333, क्षेत्रफल 1.210 हेक्टेयर में से 0.10 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
5. महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लीज क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
6. मेसर्स गुरुदेव स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मुकेश जैन) को ग्राम-पारागांव, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर के खसरा क्रमांक 1859(पार्ट) में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर, क्षमता-9,030 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स गुरुदेव स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मुकेश जैन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-
 - i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - ii. सी.ई.आर. के तहत तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण के तहत किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 - iv. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
 - v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
4. महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लीज क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

तदनुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 756वीं बैठक दिनांक 26/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2025 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज प्राधिकरण की 174वीं बैठक दिनांक 26/06/2024 में चाही गई संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जो त्रुटिवश समिति के समक्ष रखा गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को एस.ई.आई.ए. ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/04/2026 को संपन्न 233वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही गई निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया।
3. महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लीज क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स गुरुदेव स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मुकेश जैन) को ग्राम-पारागांव, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर के खसरा क्रमांक 1859(पार्ट) में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर, क्षमता-9,030 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

- i. उत्खनित 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पुनःभरण का कार्य (Restoration work) पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- ii. परियोजना प्रस्तावक को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में कुल 300 नग वृक्षारोपण का कार्य 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाना होगा।
- iii. उपरोक्तानुसार पुनःभरण का कार्य एवं वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

7. मेसर्स नवागांव भावगीर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री मोहम्मद रफिक), ग्राम—नवागांव भावगीर, तहसील व जिला—कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2433) ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429809/2023, दिनांक 19/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—नवागांव भावगीर, तहसील व जिला—कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 54, कुल क्षेत्रफल—2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—26,169 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12/12/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के पालनार्थ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहम्मद रफिक, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—

- i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 54, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-250 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 15/10/2015 तक वैध थी। तत्पश्चात् दिनांक 26/12/2016 को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा उत्खनन क्षमता- 26,169 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। यह स्वीकृति उत्खनिपट्टा अवधि तक (विस्तारित अवधि तक) की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1395/खलि-1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	1,085
2019-20	268
2020-21	2,012
2021-22	111
2022-23	964

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन पृ. क्र. 433/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2023 के द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्तियों को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती इस कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर-बस्तर-कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नवागांव भावगीर का दिनांक 09/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1899/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 28/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 997/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 999/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। मनकेशरी डैम Catchment लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री मो. रफीक के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/02/2008 से 05/02/2038 तक की अवधि हेतु वैध है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2009/2684 कांकेर, दिनांक 28/07/2009 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष हैं। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वन विभाग से वन क्षेत्र से खदान की दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के दौरान स्पष्ट बताया गया कि वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर खदान होने से ही प्रकरण पर विचार किया जाएगा।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-नवागांव भावगीर 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-नवागांव भावगीर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल कांकेर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. दूर है। दूध नदी 500 मीटर एवं मनकेशरी बांध 50 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 13,00,000 टन, माईनेबल रिजर्व 9,04,939 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,14,445 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,207.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। वर्तमान में लीज

क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,668.0	षष्ठम	15,444.0
द्वितीय	10,202.4	सप्तम	24,230.7
तृतीय	13,260.0	अष्टम	25,006.8
चतुर्थ	17,238.0	नवम	26,169.0
पंचम	7,468.0	दशम	9,256.0

13. ओव्हर बर्डन की मात्रा 90,493.92 टन है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाएगा।
14. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 840 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 58,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,40,700 रुपये, खाद के लिए राशि 8,400 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 56,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,83,900 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 6,50,880 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह आया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर दिशा में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक उक्त उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग में समाहित करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at, Government Primary School at, Village- Navagaon Bhavgir	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

19. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
20. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
21. समिति द्वारा निम्नानुसार तथ्य पाये गये:-

- i. खनिज विभाग द्वारा जारी 200 मीटर प्रमाण पत्र अनुसार मनकेशरी डैम Catchment लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय-दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग) के अनुसार "जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर" का उल्लेख है। डैम अत्यन्त महत्वपूर्ण संरचना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल के माध्यम से गूगल अर्थ से अवलोकन करने पर डैम से 50 मीटर पर उत्खनन पाया गया तथा लीज के बाहर डैम की तरफ भी उत्खनन किया जाना पाया गया है। साथ ही लीज सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौड़ी सीमा पट्टी में बांध की तरफ भी उत्खनन कार्य किया गया है।

- ii. के.एम.एल. फाईल के माध्यम से गूगल अर्थ से अवलोकन करने पर समिति द्वारा पाया गया कि क्रशर का अधिकांश भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित है एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौड़ी सीमा पट्टी में स्थापित है। जबकि माईनिंग प्लान अनुसार 7.5 मीटर (प्रतिबंधित

क्षेत्र) की चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर क्रशर को लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाना था।

उपरोक्त दोनो बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही-माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- iii. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, जिला-कांकेर के प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष हैं। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र में उत्खनन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन क्षेत्र से खदान की दूरी संबंधी जानकारी का उल्लेख) प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।
 - iv. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है। समिति का मत है कि डैम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त स्थल में ब्लास्टिंग करने हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं? के संबंध में कोई स्टडी कराई गई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।
- समिति का यह भी मत है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है।
- v. समिति का मत है कि मनकेशरी डैम का डूबान क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल संसाधन विभाग से लिया जाना आवश्यक है।
22. खदान में सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 24. पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग के किनारे यथासंभव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर-बस्तर-कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन सुनिश्चित किया गया। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित क्षेत्र में उत्खनन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन क्षेत्र से खदान की दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है तो अब उक्त प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं, उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है। डैम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त स्थल में ब्लास्टिंग करने हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं? के संबंध में कोई स्टडी कराई गई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
7. मनकेशरी डैम का डूबान क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल संसाधन विभाग से लिया जाए।
8. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा, पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
11. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ई-मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को भी पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 22/06/2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार किया गया एवं समय-समय पर खनि निरीक्षक एवं माईनिंग अधिकारी इसका जाँच किया करते हैं। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन यथासंभव प्रयास किया गया एवं भविष्य में

किया जावेगा। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/5218 कांकेर, दिनांक 21/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-
 - आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित एवं असीमांकित वनखंड नहीं है।
 - आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के खड़े वृक्ष हैं।
 - आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-29 लगा हुआ है।
 - आवेदित क्षेत्र वनभूमि के अंतर्गत नहीं आता है।
4. आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं, उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के दिनांक 21/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है जो की साधारण ब्लास्टिंग है इसके लिए डीजीएमएस से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यदि ब्लास्टिंग या उत्पादन का स्तर एवं खनन की गहराई ज्यादा हो तो डीजीएमएस से अनुमति आवश्यक होती हैं। आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं, इस संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 810, दिनांक 15/03/2023 के अनुसार "केशर प्लांट लगभग 16 वर्ष से संचालित है। चूंकि वर्तमान खुदाई बांध के विरुद्ध दिशा में किया जा रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए बांध के सुरक्षा दृष्टिगत केशर प्लांट से कोई खतरा प्रतीत नहीं हो रहा है।" का उल्लेख है।
6. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्यावरण डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा हुआ है। अतः लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 250 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 250 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम, दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र (Self-compliance report) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड क्वारी प्लान, एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 663-ए/ख.लि.3/स्था./2024 धमतरी, दिनांक 13/09/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 10,85,656 टन, माईनेबल रिजर्व 6,30,747 टन एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 6,24,754 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,772 वर्गमीटर है। ओपन कार्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 28 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,742 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं

कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,169
द्वितीय	26,169
तृतीय	26,169
चतुर्थ	26,169
पंचम	26,169

- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/788 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 327 मीटर दूरी पर होने का उल्लेख है, जबकि पूर्व में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन दिनांक 21/07/2023 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा होने का उल्लेख था। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों की दूरी में भिन्नता है। अतः कार्यालय वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर दिशा में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि:-

- लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/788 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 327 मीटर दूरी पर होने का उल्लेख है, जबकि पूर्व में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन दिनांक 21/07/2023 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा होने का उल्लेख था। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों की दूरी में भिन्नता है। अतः जारी प्रमाण पत्रों की दूरी की भिन्नता के संबंध में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र क्रमांक 1548, दिनांक 05/10/2023 एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र 1547, दिनांक 05/10/2023 को लेख किया गया था, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः उपरोक्त हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पुनः स्मरण पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/11/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 756वीं बैठक दिनांक 26/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2025/5912 कांकेर, दिनांक 07/11/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

"1. लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 227 कि.मी. एवं अभ्यारण्य की दूरी 64 कि.मी. है।

2. आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वनखण्ड आर.एफ. 29(पुराना)/नया आर.एफ. 71 स्थित है। दिनांक 21.07.2023 में वनमंडलाधिकारी की अनापत्ति के समीप की आरक्षित वन क्रमांक - 29 लगा हुआ है का उल्लेख किया गया है। क्योंकि दूरी नापी नहीं गई थी। तदपश्चात् पुनः वनमंडलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक/मा.चि./788/दिनांक 05.02.2024 को आवेदित स्थल से समीप के वनक्षेत्र की दूरी नापी गई। जिसमें वनक्षेत्र की दूरी 327 मीटर पाया गया। इस प्रकार अलग-अलग अनापत्ति में भिन्नता का उल्लेख होना पाया गया।

3. आवेदित क्षेत्र कि निकटतम ग्राम की दूरी - 1.021 कि.मी. में है।"

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र क्रमांक 2021, दिनांक 15/09/2025 एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र क्रमांक 2019, दिनांक 15/09/2025 को स्मरण पत्र लेख किया गया था। संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र क्रमांक 2646/खनि. 02/पर्या.स.-II/न.क्र. 08/2016 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया है:-

"उल्लेखनीय होगा कि रि-अप्रेजल के अधिकतर प्रकरण में उत्खनिपट्टा तात्कालिन छ.ग. गौण खनिज नियम 1936 के तहत स्वीकृत किये गये है जिसमें उत्खनन योजना एवं खदान क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर की सेप्टी जोन छोड़े जाने का प्रावधान नहीं था जिसके फलस्वरूप पट्टेदारों के द्वारा खदान क्षेत्र की सीमा तक खनन कार्य किया गया है। उक्त सभी खदानों का छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-38(क) के तहत मूल उत्खनिपट्टा अवधि से 30 वर्ष हेतु अवधि विस्तार किये गये हैं, जो कि वर्तमान में भी संचालित है।

गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधनों के उपरांत उत्खनिपट्टों हेतु उत्खनन योजना तैयार किया गया तथा उसके पश्चात् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 7.5 मीटर सेप्टी जोन छोड़ने के प्रावधान किये गये हैं। अतः 2015 के पूर्व स्वीकृत खदानों में उक्त नियम के बंधनकारी नहीं होने के फलस्वरूप उक्त प्रकरणों में उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। गौण खनिज नियम, 2015 के तहत स्वीकृत - उत्खनिपट्टों में

खदान क्षेत्र की सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर जिला अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पुराने उत्खनन के गड्ढे अथवा तालाब होने की स्थिति में समिति द्वारा इन्हें आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानकर प्रकरण परीक्षण हेतु लीजा कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। तत्संबंध में लेख है कि प्रायः गौण खनिज उत्खनन पट्टा पूर्व स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास ही स्वीकृत किया जाता है जिससे आवेदित क्षेत्र के आसपास पुराने स्वीकृत खदानों से निर्मित गड्ढे का होना स्वाभाविक है। पुराने उत्खनन से निर्मित गड्ढों को वर्तमान पट्टाधारी आवेदकों द्वारा किया गया अवैध उत्खनन माना जाना उचित नहीं है। लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों में विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। तथापि प्रत्येक 6 माह में खनि निरीक्षक द्वारा भी कर निर्धारण के समय मौका जांच पर पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-71 के हत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिस पर खनिज विभाग द्वारा गंभीरता से लगातार कार्यवाही की जाती है।

उक्त कारणों से रि-अप्रेजल के प्रकरण विगत 02 वर्षों से अधिक समय से लंबित होने के कारण प्रदेश में अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक गौण खनिजों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वही राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के लंबित रि-अप्रेजल प्रकरण/पर्यावरण सम्मति हेतु प्रस्तुत नवीन प्रकरणों में पर्यावरण के विदुओं पर कम्प्लायंस कराते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उचित निर्णय लिया जावे।"

उक्त खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 06/02/2008 से 05/02/2038 तक हेतु निष्पादित किया गया है। अतः उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व का है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 327 मीटर की दूरी पर है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ऑ.ए. क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08/08/2024 को पारित आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:-

"Though in the present case, it is a 'Reserve Forest' but in our view, the need of having a buffer area for reserve forest similar to that it was found necessary in respect of national parks and wildlife sanctuaries is equally relevant, important and necessary and therefore, the mere fact that the boundary of the mining lease area is outside the notified boundary of reserved forest is not sufficient reason to allow mining activities. Such activities must be disallowed within buffer area which until provided otherwise by Competent Authority by issuing appropriate notification, we find shall be followed as 1 km from the actual boundary of the notified 'Reserve Forest'/'Protected Forest', as the case may be."

उपरोक्त के परिपालन में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के 18 माह पश्चात् भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के रि-अप्रेजल के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 3799-3800/2019 में पारित आदेश के परिपालन में जारी अंतरिम आदेश की वैधता डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किये जाने रहते के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश तक रहेगी।



सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में अधिसूचना जारी

किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी-अप्राईजल हेतु पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/04/2026 को संपन्न 233वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

नाम एवं पदनाम:	हस्ताक्षर
श्री पोलिसेट्टी वेंकट नरसिंगा राव अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	
डॉ. शैलेश कुमार जाधव सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	
श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	